झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्

स्थान : रिम्स परिसर, राँची,टेली–फैक्सः 0651–2544027

E-mail: jspcranchi@gmail.com

पत्रांक संख्याः–48/झा.रा.पा.प.,

डॉ॰ सुमंत मिश्रा
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड
सह अध्यक्ष

प्रो॰ डॉ॰ विवेक कश्यप
प्राध्यापक, पी॰ एस॰ एम॰ विभाग
रिम्स, राँची सह
सदस्य–सचिव एवं कार्यकारी निदेशक

डॉ॰ डी॰ के॰ सिन्हा
सह–प्राध्यापक, सर्जरी विभाग
रिम्स, राँची सह
परीक्षा नियंत्रक

डॉ॰ बी॰ सी॰ अधिकारी,
सह–प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग
रिम्स, राँची सह
शैक्षणिक समन्वयक

डॉ॰ आई॰ डी॰ चौधरी
निबंधक

प्रेषक,

डॉ॰ आई॰ डी॰ चौधरी
निबंधक,
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, रांची

सेवा में,

निदेशक,
यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक,
बी॰ आई॰ टी॰ मेसरा,
रांची, झारखण्ड।

रांची।दिनांक 11/07/2017

विषयः आपके संस्थान से पारामेडिकल पाठ्यक्रमों (DMLT एवं BMLT) में उत्तीर्ण छात्रों के निबंधन करने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन सूचित करना है कि आपके संस्थान (यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक) से उत्तीर्ण पारामेडिकल के छात्रों के निबंधन करने हेतु पत्रांक सं॰–09/झा॰ रा॰ पा॰ प॰, रांची, दिनांकः– 15/02/2017 के माध्यम से पृच्छा की गई थी। आपके द्वारा उक्त विषय से सम्बंधित कागजातों एवं दस्तावेजों को परिषद् कार्यालय में जमा किया गया।

आपके द्वारा समर्पित कागजातों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् कहना है किः

1. B.Sc (MLT) पाठ्यक्रम का निबंधन परिषद् द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. वर्तमान में आपके संस्थान द्वारा DMLT पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः वैसे डिप्लोमाधारी (DMLT) छात्र जो पूर्व में आपके संस्थान से ही उत्तीर्णता प्राप्त किये है, का निबंधन नियमानुसार किया जायेगा।
3. यदि संस्थान पुनः DMLT पाठ्यक्रम स्थापित करना चाहेगी तो उसे झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद् में मान्यता प्राप्ति हेतु नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। मान्यता प्राप्ति के पाश्चात् ही सीटों की संख्यानुसार नामांकन लिया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

Choudhary 11/7

(निबन्धक)

11/7/17